

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

महोदय जी निवेदन है कि ग्राम - चंगोही की खाना संख्या 2097-4 की खाता सं 233 में प्रार्थी का नाम मोहन पुत्र गंगाराम रेगड़ दर्ज है लेकिन प्रार्थी के अन्य सगी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम मोहनलाल पुत्र गंगाराम रेगड़ दर्ज है। अतः खाता सं 233 में प्रार्थी का नाम मोहन पुत्र गंगाराम रेगड़ के बजाय मोहनलाल पुत्र गंगाराम रेगड़ दर्ज किया जाना उचित है।

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

(Handwritten Signature)
व. चंगोही

रिपोर्ट पटवारी - चंगोही मुन्सफ़ प्रार्थी का नाम दत्तात्रेय मुन्सफ़, मोहन पुत्र गंगाराम रेगड़ है। अतः खाता सं 233 में प्रार्थी का नाम मोहनलाल पुत्र गंगाराम रेगड़ दर्ज किया जाना उचित है।

उप तहसीलदार सनवाड़
नम्र - मावली (उदयपुर)।
आदेश

राजस्थान
13-2-23

रिपोर्ट, पटवारी, पटवार हल्का चंगोही एवं उपतहसीलदार सनवाड़ द्वारा मंत्र चंगोही पटवार हल्का चंगोही की खाता सं. 233 में खातेदार मोहन पुत्र गंगाराम रेगड़ के बजाय मोहनलाल पुत्र गंगाराम रेगड़ अंगोचन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा अपने पार्श्वना पत्र के अमर्चन में आय प्रमाण पत्र की प्रति, रेशन कार्ड की प्रति, जनआधार कार्ड की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, जाति प्रमाण पत्र की प्रति, 501-स्टाम्प पर शपथ पत्र, अतः खातेदार दयाराम व गोबिंद का अनापति प्रमाण पत्र पेश किया। दस्तावेज एवं रिपोर्ट के अवलोकन से प्रार्थी का नाम मोहनलाल पुत्र गंगाराम होना जाहिर आया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्र.पत्र स्वीकार किया जाकर मंत्र चंगोही पटवार हल्का चंगोही की खाता सं. 233 में खातेदार मोहन पुत्र गंगाराम के बजाय मोहनलाल पुत्र गंगाराम अंगोचन किया जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फ़ैसल मुम्बई नम्बर से रूप है।

विशेष जुले - थायालय पुनावा गया।



उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) मावली
उपखण्ड अधिकारी
मावली, जिला उदयपुर